कार्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खारी चारणान,कोलायत

## प्रवेश विज्ञप्ति

**महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सत्र 2024–25 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया/शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु समय–सारणी निम्नानुसार है ।**

| क्र. स. | कार्यक्रम का विवरण | निर्धारित तिथि/ समयावधि |
|---|---|---|
| 1. | विज्ञप्ति जारी करना। | 06–05–2024 |
| 2. | प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि | 07–05–2024 से 12–05–2024 |
| 3. | प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनो की सूची व कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना | 13–05–2024 |
| 4. | लॉटरी निकालने की तिथि | 14–05–2024 |
| 5. | लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना। | 15–05–2024 |
| 6. | प्रवेश कार्य | 16–05–2024 से |
| 7. | शिक्षण प्रारंभ | 01–07–2024 |

सत्र 24–25 मे प्रवेश हेतु अभिभावको से आवेदन पत्र, ऑनलाईन (शालादर्पण/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाया जाकर लॉटरी, ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पादित कर प्रवेश किया जाना है।

आवेदन पत्र का प्रारूप, रिक्त सीट और विभागीय निर्देशों की प्रति विद्यालय की वेबसाइट mggskharicharnan.co.in पर एडमिशन टैब से डाउनलोड किए जा सकते है ।

**महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम / राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मे प्रवेश के संबंध मे दिशा–निर्देश निम्नानुसार है**

1.महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा नर्सरी में समस्त सीटो पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष कक्षाओं मे पूर्व कक्षाओं से क्रमोन्नत / उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरान्त शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

2.विद्यालय में सत्र 2023–24 में नर्सरी से कक्षा 9 तक संचालन किया जा रहा था अतः सत्र 2024–25 से कक्षा 10 का संचालन किया जायेगा व कक्षा 10 मे पूर्व में कक्षा 9 से कम्मोन्नती/उत्तीर्ण उपरान्त शेष रही सीटों पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3.गुणवत्तापूर्ण शिक्ष ा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.ई. के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये गये है। कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 9 से 12 मे 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे।

4.राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15) शिक्षा–1/2022 जयपुर दिनांक 16–07–2022 की पालना मे भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख से अधिक राशि के कार्य करवाये गये है अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमे 50 लाख से अधिक राशि का व्यय हुआ है, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहो की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 02 एवं सम्पूर्ण विद्यालय मे प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयो मे संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। इन विद्यालयों में प्रति सेक्शन निर्धारित सीटो व उपरोक्तानुसार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नही रखा गया है। प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से संपादित किया जाएगा ।

5. आवेदन पत्र ऑनलाईन (शालादर्पण पोर्टल/क्यू आर कोड माध्यम) भरवाये जाकर लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाईन संपादित कर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय–सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, जिससे भविष्य मे रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके।